

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान धन्नालाल बनाम कालू


मुकदमा संख्या/वर्ष टी0आई0 28/2024

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/02 2025	<p>पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 09 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार शर्मा तथा अप्रार्थी संख्या 20 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार चाहर हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पचार, पटवार हल्का क्षेत्र पचार, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड व जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 1282 रकबा 14.8216 है0 प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त, कब्जे काशत, सहखातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मनबट के अनुसार मौके पर अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि पर विक्रय, हस्तान्तरण, खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है। उसे उसकी कब्जे की भूमि से जबरिया बेदखल करने, बेचान, हस्तान्तरण करने की ऐलानिया धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काशत में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 09 एवं अप्रार्थी संख्या 20 ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी।</p> <p>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन कर न्यायालय यह पाता है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, चूंकि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् विभाजन के साथ पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है। विवादित भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का इंच टू इंच में हिस्सा निहित होता है।</p> <p>अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय-वस्तु</p>	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम पचार, पटवार हल्का क्षेत्र पचार, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालवाड़, तहसील कालवाड़ व जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं० 1282 रकबा 14.8216 है० पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम